राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय: समन्वय शाखा,
पुराना सचिवालय, सिविल लाइन दिल्ली- 110054

फा. सं./30-3(17)/01/विवि परिपत्र /समन्वय/2023/946-951 दिनांक 12.09.2023

परिपत्र

विषय :- "हिंदी दिवस" 14 सितम्बर, 2023 के अवसर पर माननीय मुख्य सचिव, दिल्ली का सन्देश।

कला, संस्कृति और भाषा **विभाग**, छठा-तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट नई दिल्ली **के पत्र संख्या फा०सं०**5(01) 2023-24 क०सं० एवं भाषा/1272-1372 दिनांक 06/09/2023 की प्रति के साथ माननीय मुख्य सचिव, दिल्ली द्वारा **"हिंदी दिवस"** के अवसर पर सन्देश की प्रतिलिपि संलग्न हैं।

शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत सभी कार्यालय प्रमुख/विद्यालय प्रमुख/शाखा प्रमुख से अनुरोध है कि **१४ सितम्बर २०२३** को **"हिंदी दिवस"** के अवसर पर माननीय मुख्य सचिव, दिल्ली के सन्देश को अपने अधीनस्थ अधिकारियो/कर्मचारियों की जानकारी में लाने के लिए परिचालित करें। इस पत्र के साथ कुछ सूक्तियाँ भी संलग्न हैं।

हिमांशु गुप्ता

संलग्न: उपरोक्त अनुसार।

(हिमांशु गुप्ता)
निदेशक(शिक्षा)

फा. सं./30-3(17)/01/विवि परिपत्र /समन्वय/2023/946-951 दिनांक 12.09.2023
प्रतिलिपि :- सूचना हेतु

1. निजी सहायक, प्रधान सचिव, (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली
2. अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, (प्रशासन), शिक्षा निदेशालय, राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली
3. अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (स्कूल), शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली
5. अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (समन्वय), शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली
6. सभी क्षेत्रीय निदेशक (शिक्षा)/उप शिक्षा निदेशक (जिला), उप शिक्षा निदेशक , निजी स्कूल शाखा / सहायता प्राप्त स्कूल शाखा, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली (विभागीय वेबसाइट द्वारा)
7. प्रभारी कम्प्यूटर सेल (उक्त परिपत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश के साथ)।

हिमांशु गुप्ता

(हिमांशु गुप्ता)
निदेशक(शिक्षा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
छठा तल, बी–विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली ।

फा.सं0 5(01) 2023–2024–क0सं0एवं भाषा/ 1272–1372 दिनांकः 06/09/2023

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली.

विषयः "हिन्दी दिवस" 14 सितम्बर, 2023 के अवसर पर माननीय मुख्य सचिव, दिल्ली का संदेश ।

महोदय,

दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ स्थानीय निकायों के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने, इसका अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार करने और अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी में कार्य करने के प्रति रूचि पैदा करने के उद्देश्य से कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिये दिल्ली सरकार के समस्त विभागों को समय–समय पर आवश्यक निदेश भी जारी किये जाते हैं। चूंकि दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 में हिन्दी को दिल्ली की प्रथम राजभाषा घोषित किया गया है, अतः आवश्यक है कि जनसाधारण से सीधे सरोकार रखने वाले समस्त सरकारी कार्य राजभाषा हिन्दी में ही किये जाने चाहिएं।

आपसे अनुरोध है कि 14 सितम्बर, 2023 को **"हिन्दी दिवस"** के अवसर पर माननीय मुख्य सचिव, दिल्ली के संदेश को अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लाने के लिये परिचालित करें। इस पत्र के साथ कुछ सूक्तियां भी संलग्न हैं।

भवदीया

प्रोमिला मित्रा

(प्रोमिला मित्रा)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

फा.सं0 5(01) 2013–2024–क0सं0एवं भाषा/ 1372–1422 **दिनांकः 06/9/2023**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.II भवन, जय सिंह रोड़, नई दिल्ली–01.
7. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिन्दी कार्यान्वयन समिति जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय,तीस हजारी, दिल्ली।
8. अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (प्रशासन), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड़, नई दिल्ली–01।
9. आयुक्त, दक्षिण/उत्तर, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, मिन्टो रोड़, नई दिल्ली।
10. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली।
11. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
12. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला रोड़, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली ।
13. प्रबंधक (मा.सं.), प्रशिक्षण एवं हिन्दी अनुभाग, इन्द्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ओ एंड एम भवन राजघाट पावर हाउस, नई दिल्ली–02.
14. निदेशक (कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरूणालय फेस–2, झण्डेवालान, नई दिल्ली ।
15. प्रशासनिक अधिकारी, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यू.टी.सी.एस. बिल्डिंग, विश्वास नगर, दिल्ली ।
16. दिल्ली सरकार के समस्त स्वायत्त निकाय/निगम, दिल्ली/नई दिल्ली।
17. दिल्ली सरकार के अंतर्गत समस्त समितियाँ/बोर्ड/परिषद्/संगठन, दिल्ली/नई दिल्ली।
18. कला, संस्कृति एवं भाषा की वेबसाइट पर उपलोड करने के संदर्भ में।

प्रोमिला मित्रा

(प्रोमिला मित्रा)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

नरेश कुमार, भा.प्र.से.
NARESH KUMAR, I.A.S

मुख्य सचिव
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
Chief Secretary
Government of NCT of Delhi

सत्यमेव जयते

हम सब का अभिमान है हिन्दी, भारत देश की शान है हिन्दी।
आइये इसका मान बढ़ायें, देश का सम्मान बढ़ायें।

संदेश

"हिन्दी दिवस"
14 सितम्बर, 2023

"हिन्दी दिवस" के अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

भारत की सारी भाषायें हमारे लिये आदरणीय है लेकिन देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य हमारी राजभाषा हिन्दी के माध्यम से ही संभव हुआ है। 14 सितम्बर, 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिन्दी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी संदर्भ में प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को मनाये जाने वाले **"हिन्दी–दिवस"** का विशेष महत्व है।

जैसाकि आपको विदित ही होगा कि दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिनांक 26.1.2004 से प्रभावी हो चुका है, जिसमें हिन्दी को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अतः हिन्दी भाषा के प्रचार–प्रसार का उत्तरदायित्व हम सभी पर है। हमें हिन्दी में सोंचने, हिन्दी में लिखने एवं हिन्दी में समझने की आदत डालनी चाहिए। हिन्दी की हमें आवश्यकता क्यों है, इस बात को समझने और अन्य लोगों को समझाने का यदि हम प्रयास करेंगें तभी "हिन्दी दिवस" सार्थक होगा।

दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्षों से मेरा अनुरोध है कि हिन्दी के प्रचार–प्रसार को बढ़ावा देने और अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से अपने विभाग में "हिन्दी दिवस" 14 सितम्बर, 2023 का आयोजन करें तथा अधिकाधिक उत्साहपूर्वक हिन्दी सप्ताह, हिन्दी पखवाड़े को मनायें।

आइये, संकल्प लें कि हम अपने दैनिक कार्यालय के कामकाज में अधिक से अधिक काम हिन्दी में करके दूसरों के लिए भी अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तथा संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति करेंगे।

हिन्दी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को पुनः मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

नरेश कुमार

(नरेश कुमार)
मुख्य सचिव, दिल्ली

दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002, फोन : 011-23392100, 011-23392101, फैक्स : 011-23392102
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002, Tel. : 011-23392100, 011-23392101 Fax : 011-23392102
E-mail : csdelhi@nic.in

हिन्दी भाषा से संबंधित सूक्तियां

1. हिन्दी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है, जिसे बिना भेदभाव के प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है।
2. हिन्दी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।
3. भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिन्दी महानदी।
4. आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए।
5. हिन्दी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और दृढ़ करती है ।
6. हिन्दी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है।
7. हिन्दी अपनाइये, देश का गौरव बढ़ाइये।
8. हिन्दी में काम करना सरल है, आज ही शुरू कीजिए।
9. हिन्दी के माध्यम से ही राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधा जा सकता है।
10. हिन्दी में काम बहुत आसान, समझना आसान, समझाना आसान।
11. हिन्दी हमारी राष्ट्रीय भाषा, हमारी पहचान है। आइये इसका प्रयोग करके इसको सम्मान दें।
12. भारत की सभी भाषाएं बढ़ें। संघ का काम हिन्दी में करें।
13. राष्ट्रीय एकता की कुंजी है हिन्दी।
14. हिन्दी हम सबकी अपनी ही भाषा है, इसके प्रयोग में संकोच क्यों?
15. हिन्दी राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय एकता का माध्यम है।
16. हिन्दी में सोचें, हिन्दी में लिखें।
17. सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग गौरव की बात है।
18. हिन्दी में काम करते समय सरल भाषा अपनाएं।
19. हिन्दी अपनाएं, देश का मान बढ़ाएं।
20. हम सब का अभिमान है हिन्दी, भारत देश की शान है हिन्दी।
21. हिन्दी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।
22. हिन्दी भाषा को बढ़ावा दीजिए। राष्ट्रभाषा का सम्मान कीजिये।।
23. राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है।